Title: Need to bring forth stringent penal provisions to check the operations of unrecognised private universities.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : अध्यक्ष जी, भारत में चल रहे फर्जी विश्वविद्यालयों की एक लम्बी फैहरिस्त मेरे पास है। जिन विश्वविद्यालयों को फर्जी चिन्हित किया गया है उनके लिए हमारे देश में 1956 का कानून है। इस कानून के अनुसार अगर कोई फर्जी विश्वविद्यालय पकड़ा जाता है तो एक हजार रुपये दंड का प्रावधान है। जैसे हमारे देश में ये फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, ठीक उसी तरह से विदेशी विश्वविद्यालयों के कैम्पस भी दिल्ली में स्थित हैं तथा उनके द्वारा जो डिग्रियां दी जाती हैं, उनकी कोई वैधता नहीं है। यह लाखों बच्चों के भविय का सवाल है। इन डिग्रियों से न कहीं प्रवेश मिलता है और न ही नौकरी मिलती है। तीन साल से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास एक प्रारूप बनाकर भेजा हुआ है कि इन फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के दण्ड की व्यवस्था की जाए। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चल रही थी और अब सात महीनों से यह सरकार चल रही है। इन फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान करने में सरकार विलम्ब क्यों कर रही है? मैं सरकार से निवेदन करुंगा कि ये जो फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं जिनमें विदेशी विश्वविद्यालय, जिनके कैम्पस हमारे यहां हैं, जिनकी डिग्रियों की वैधता नहीं है, इन सब के खिलाफ, सरकार अविलम्ब कठोर कानून बनाने का प्रावधान करे।

MR. SPEAKER: We have got only 35 Members to speak. Kindly do not interrupt each other.